

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

प्रपत्र VII

समाहर्ता या समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चुकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा बरकट्टा से तेतरान पथ के कि०मी० 00.00 से कि०मी० 32.10 तक चौडीकरण/मजबूतीकरण कार्य हेतु ग्राम-केन्दुआ थाना-चलकुषा, थाना-सं०-08, अंचल-चलकुषा, जिला-हजारीबाग में कुल 0.976 एकड़ यानि 0.3951 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.976 एकड़ यानि 0.3951 हेक्टेयर है, और जो ग्राम-केन्दुआ थाना-चलकुषा, थाना-सं०-08, अंचल-चलकुषा, जिला-हजारीबाग में है, जिसका विवरणी निम्नवत है-

क्र० सं०	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8	475	निजी	टांड- III	0.659	मोती महतो वगै० पिता सुकर महतो, जीबलाल महतो वगै० पिता जानकी महतो, लोचन महतो वगै० पिता जोधन महतो, इन्दिया देवी पति प्रयाग महतो जाति ग्वाला, सा० केन्दुआ	प्लॉट न० 475 अंष	प्लॉट न० 475 अंष	प्लॉट न० 480	प्लॉट न० 484
2	20	479/1	निजी	टांड- III	0.05	मनीरुद्धीन मियाँ पिता नीलू मियाँ ग्राम-केन्दुआ	रमका मांझी	सहदेव यादव	नीज	रास्ता
3	20	479/2	निजी	टांड- III	0.05	बसीरुद्धीन मियाँ पिता खोबलाल मियाँ ग्राम-केन्दुआ	मनीरुद्धीन	लक्ष्मण यादव	नीज	रास्ता
4	20	479/3	निजी	टांड- III	0.058	मनीरुद्धीन मियाँ वगै० पिता लीलो मियाँ वो रहमत मियाँ पिता विषु मियाँ वो जीतन मियाँ पिता जुमन मियाँ वो जुगल मियाँ वगै० पिता वो रफीक मियाँ पिता मोती मियाँ ग्राम-केन्दुआ	वासदेव यादव	प्रयाग यादव	रास्ता	नीज
5	20	479/4	निजी	टांड- III	0.06	मोती महतो पिता स्व० सुकर महतो वो लक्ष्मण महतो पिता चुल्हन महतो वो हरखु रविदास	झारखण्ड सरकार	झारखण्ड सरकार	नीज	नीज

						वगै० पिता खेदन रविदास ग्राम-केन्दुआ				
6	20	479/5	निजी	टांड- III	0.06	बैद्यनाथ यादव वगै० पिता भिखारी महतो ग्राम-केन्दुआ	झारखण्ड सरकार	झारखण्ड सरकार	नीज	नीज
7	20	479/6	निजी	टांड- III	0.039	इन्दिया देवी पति स्व० प्रयाग यादव सा०-केन्दुआ	झारखण्ड सरकार	झारखण्ड सरकार	नीज	नीज
कुल					0.976					

यह अधिघोषणा हितबद्ध ब्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 प्रदत्त यथा उपबधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किये गये है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

ग्राम-केन्दुआ थाना-चलकुषा, थाना-सं०-08, अंचल-चलकुषा, जिला-हजारीबाग में कुल 0.976 एकड़ यानि 0.3951 हेक्टेयर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

समाहर्ता-सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी,
हजारीबाग।